12

: मुख्तारनामा आम :

लाल जी पाठक पुत्र स्व० माता सरन पाठक निवासी बिलबिला परगना, पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी का हूं।

वाजा हो कि मिनमुकिर जायदाद हसब तफसील जैल का सह खातेदार अंशत: मालिक है और मिनमुकिर जईफ है तथा अक्सर बिमार भी रहा करता है और बात रोग से भी पिड़ित है, पस मिनमुकिर ने यह उचित व मुनासिब समझा कि अपनी सम्पत्ति जिसका पूरा विवरण तरीका खाजा के अन्त मे लिखा जा रहा है, की सम्पत्ति की देख- भाल व सुरक्षा वगैरह के बाबत् एक मुख्तारनामा आम तहरीर कर दिया जावे, ताकि मिनमुकिर की सम्पत्ति की सुरक्षा वगैरह होती रहे, पस मिनमुकिर ने अपनी बहू पूनम् पत्नी राज-कुमार पाठक से अपनी राय जाहिर किया तो मिनमुकिर की बात को बहू ने स्वीकार किया, लिहाजा मिनमुकिर व खुशी व रजामन्दी व बदुरुस्ती होस व हवास व बिला किसी जब्र व एकराह के यह चन्द कलमा बतौर मुख्तारनामा आम बहक व बदस्त श्रीमती पूनम्

बीस रूपये
भारत INDIA
TWENTY RUPEES
२०रू. 20Rs.

(2)

पत्नी श्री राज कुमार पाठक निवासी ग्राम बिलबिला परगना-पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी के हक मे तहरीर करके मिनमुकिर अपने को पाबन्द शरायत जैल का करता हूँ :-

1- यह कि मुखतारे मौसूफ मिनमुकिर की सम्पत्ति की सुरक्षा , हेतु उसकी देख भाल करे व काश्त वगैरह करे व करावे तथा वकील मुकर्रर करे, वकालतनामा पर अपना हस्ताक्षर करे व कोर्टफीस अदा करे व तलवाना वगैरह जमा करे तथा निचली अदालतसेलेकर उच्चतम न्यायालय तक मुकदमात् संबंधित दावा दाखिल करे, सुलहनमा करे, हर्जा लेवे व हर्जा अदा करे तथा सम्पत्ति के बावत् अन्तरण की बात-चीत करे या विक्रय करे बयनामा करे ,जर समन वगैरह लेवे,यह सभी तमामी कार्य मुखतारेआम मौसूफ द्वारा किया गया ,मिनजानिब मिनमुकिर किया हुआ माना व समझा जावेगा ।

दस रुपये

१०रु. भारत INDIA 10Rs

TEN RUPEES

(3)

2- यह कि सम्पत्ति की हुरदा के बाबत् सादय वगैरह देवे व गवाही आदि को सम्पन्न करावे ।

3- यह कि उपरोक्त तमामी सभी किया गया कार्य मुख्तारआम मौसूफ का मिनजानिब मिनमुकिर द्वारा किया हुआ माना व पढ़ा व समझा जावेगा ।

4- यहकि वसीका हाजा की तमामी शरायत की पाबन्दी मिनमुकिर पर वाजिब व लाजिम है व आइन्दा भी रहेगी ।

5- यहकि कुल मजमून वसीका हाजा को शुरु से लेकर अन्त तक पढ़ व पढ़वा कर के सुन कर सोच व समझ कर के व उसके असरात् कानूनी से वाकिफ होकर कबूल व महसूस व मन्जूर करके यह चन्द कलमा बतौर मुख्तारनामा आम के रूबरू हासिया गवाहान तहरीर कर दिया कि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे व प्रमाण रहे ।

(4)

:- तफसील जायदाद वाका मौजा चिलबिला, परगना-पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी,

आ०न०-	रकबा-	
580	0. 016 हे०	
581	0. 057 हे०	
185	0. 093 हे०	
402 ख	0. 014 हे०	मे वैधानिक अंश
409 ख	0. 008 हे०	
1022	0. 089 हे०	
1023 ख	0. 012 हे०	
1048	0. 304 हे०	
185 ख	0. 134 हे०	
476	रकबा-20डि०	
477	रकबा- 45डि०,	

जुमला 2 गाटा रकबा- 65 डि० आबादी,

आबादी मे स्थित कुआँ; मय मकान, सहन आबादी, कुआँ के अगल- बगल की जमीन जिसकी चौहद्दी निम्नहै:-

पूरब:- रास्ता बादहू मकान नवल कुमार।

पश्चिम:- नाली बादहू कमला पाठक का मकान।

उत्तर:- गढ़्ढा मिनमुकिर व खलिहान मिनमुकिर बादहू-सड़क पक्की।

दक्षिण:- मिनमुकिर का खुद का मकान खाम।

आ०नं०- न०- 168 रकबा- 0. 542 हे०,
1030 रकबा- 0. 109 हे०,
वाका मौजा चिलबिला परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी, सम्पूर्ण।

तहरीर ता०- 12-8-98-ई०।

मसविदाकर्ता:-

टाईपकर्ता:- (बालकृष्ण पाठक) सिविलकोर्ट, वाराणसी।

मै कि राम च. पाठक व उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्व०-
माता शरण पाठक निवासी ग्राम सिसवा परगना -
मल्हार तहसील व जिला वाराणसी का हूँ :

हूँ कि मिनमुकिर की आवस्था इस समय करीब 70 साल की हो चुकी है अब नहीं रह सकता शरीर से प्राण कब निकल जाय, मिनमुकिर यह उचित व मुनासिब समझता कि अपनी तमामी खुद की सम्पत्ति मनकूला व गैर मनकूला का वारिस मुकर्रर कर दूँ, ताकि मुस्तकबिल मे किसी भी प्रकार का सम्पत्ति चल व अचल को लेकर विवाद न पैदा हो। मिनमुकिर की पत्नी का देहान्त हो चुका है और मिनमुकिर का सबसे बड़ा पुत्र अशोक कुमार पाठक कन्नाक पुरा, शहर वाराणसी मे अपनी ट्रैवलिंग एजेन्सी चला रहे है और वहीं पर अपने परिवार के साथ रह भी रहे है। मिनमुकिर की सेवा-भी कभी नहीं की न तो मिनमुकिर की सेवा टहल व दवा वगैरह का ही ध्यान देते है और मिनमुकिर का मझला पुत्र राज कुमार पाठक भी अपनी आदत से मजबूर है क्यों कि शराब आदि का सेवन करना, जुआ-

उनका जुआ आदि खेलना तथा घर की सम्पत्ति बर्बाद करने पर आमादा है , जिसकी वजह से मंझला पुत्र राज कुमार पाठक भी मिनमुकिर की सेवा टहल व सेवा सुश्रुषा वगैरह करने मेअसमर्थ है और मिनमुकिर का किसी भी तरह का कोई ध्यान नही देता है, जिससे मिनमुकिर काफी खिन्न रहता है क्यों कि राज कुमार का संबंध परिवार से बिलकुल ही नही है।मिनमुकिर के सबसे छोटे पुत्र सन्तोष कुमार वर्तमान समय मे अपने परिवार के साथ मध्यप्रदेश मे रह रहे है और वे भी मिनमुकिर का कोई भी ध्यान किसी भी तरह से नही देते है और न तो मिनमुकिर की खोज ,खबर ही ले रहे हैं ,न घर पर आते हैं न खर्चा वगैरह ही देते है। सन्तोष कुमार से भी मिनमुकिर काफी खिन्न रहता है ।मिनमुकिर की पुत्र वधू पूनम पाठक जो राज कुमार पाठक की पत्नी है वह अपने पुत्र व पुत्री के साथ मिनमुकिर की काफी सेवा व खिदमत वगैरह करती चली आ रही है, उसकी सेवा-टहल व खिदमत से मिनमुकिर काफी प्रसन्न व खुश है ,

मिनमुकिर अपने पुत्र अशोक कुमार पाठक व सन्तोष-कुमार पाठक को अपनी सम्पत्ति बेच करके उनकी व्यवस्था कर दिया जिसकी वजह से वे दोनो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह करके अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे है। मिनमुकिर ने यह उचित व मुनासिब समझा कि अपनी बची हुयी सम्पत्ति का अपना वारिस मुकर्रिर कर दूं,ताकि किसी भी तरह का विवाद मनकूला व गैर मनकूला के संबंध मे भविष्य मे पैदा न हो,पस मिनमुकिर व खुशी रजा-मंदी व बिला किसी दबाव नाजायज के स्वेच्छापूर्वक ,प्रसन्न-चित्त मे अपने हित व अनहित को ध्यान मे रखते हुये यह वसीयतनामा बहक श्रवण कुमार पाठक पुत्र राज कुमार-पाठक निवासी मौजा चिलबिला परगना पन्द्रह,तहसील व जिला वाराणसी,तहरीर करके मिनमुकिर अपने को अपने वारिसान को पाबन्द शरायत जैल का करता हूं:-

1- यह कि मिनमुकिर जब तक जिवित रहेगा ,अपनी तमामी बची हुई सम्पत्ति का मालिक रहेगा।

2- यह कि मिनमुकिर के मरणोपरान्त मिनमुकिर की तमामी चल व अचल सम्पत्ति मनकूला व गैर मनकूला के मालिक मिनमुकिर का नाती श्रवण कुमार पाठक होगे।

3- यह कि मिनमुकिर की वफात के बाद मिनमुकिर

का नाव संस्कार, पिंड दान व श्मशान व प्रकाशन-भोजन वगैरह व मुताबिक हिन्दू धर्म शास्त्र व रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न करा देवेंगे, ताकि मिनमुकिर की मृतक आत्मा को शांति मिले।

4- यह कि वसी मौसूफ को यह हासिल होगा कि वह मिनमुकिर की पश्चात् के बाद कागजात सरकारी व माल विभाग मे मिनमुकिर के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे। इसमे मिनमुकिर के वारिसान को कोई भी आपत्ति नही होगा।

5- यह कि मिनमुकिर का यह प्रथम व अन्तिम वसीयतनामा है, यदि कोई भी दीगर शख्स किसी भी तरह का मिनमुकिर की सम्पत्ति के बाबत् कोई भी कागजात प्रस्तुत करे या दिखावे तो वह बमुकाबिले वसीका जाली बातिल व नाजायज होगा, उसकी कोई भी अहमियत बमुकाबिले वसीयतनामा के नही रहेगी।

6- यह कि कुल मजमून वसीका जा को मिन-मुकिर ने पढ़ व पढ़वा करके सुन कर सोच व समझ करके व उसके पश्चात् से कानूनी तौर पर कबूल व मंजूर करते हुये स्वस्थ्य चित्त व प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी दबाव

के यए वन्द कलमा बतरीक वसीयतनामा प्रथम व आखीरी के हक्क हासिया गवाहान लिख करके व अपना हस्ताक्षर बना दिया, ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे। व प्रमाण रहे।

तहरीर तारीख:- 12-8-1998-ई०:-

मसविदाकर्ता:- विनोद कुमार श्रीवास्तव (एडवोकेट)

टाईपकर्ता:-

(बालकृष्ण पाठक)

सिविल कोर्ट, वाराणसी।